भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या -1279

(जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसंबर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट कंपनियों में अनियमितताएं</u>

1279. प्रो. सौगत राय:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "सत्यम कम्प्यूटर्स" जैसी अनियमितताएं किसी अन्य कारपोरेट कंपनी में नजर आई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): कारपोरेट धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है।

(ग) और (घ): निम्नलिखित उपायों के द्वारा अभिकथित अनियमितताओं की जांच की जाती है:-

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनियों के तुलन पत्रों और अन्य दस्तावेजों की तकनीकी छानबीन करके;
- अधिनियम की धारा 209क के तहत कंपनियों की लेखाबहियों और अन्य रिकार्डों का निरीक्षण करके;

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के तहत कंपनियों के मामलों की जांच करके।

*****